

फर्द अहकाम

माडिच्य

बनाम

सूडराम

म न्यायालय : सहायक कलक्टर, वस्ती

जस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 144/2023

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	07/11/24	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादी सूडराम द्वारा प्रा.पत्र 07R11 सीपीसी की लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वाले आदेश प्रा.पत्र 07R11 सीपीसी दिनांक 11/11/2024 को पेश हो।	
	11/11/24	पत्रावली वाले आदेश प्रा.पत्र 07R11 सीपीसी पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रा.पत्र 07R11 सीपीसी पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। उभयपक्ष अधिवक्ता की लिखित बहस पर मनन करने एवं वादपत्र का अवलोकन करने पर वास्तविक वाद-कारण के अभाव में एवं विधि द्वारा वर्जित होने एवं क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण प्रार्थना/प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थना पत्र आदेश न नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक् से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। यह निर्णय आज दिनांक 11/11/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

11/11/24

अंतिम डिग्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी :- शिप्रा जैन (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :- 144/2023

जीसीएमएस :- 2023/360

1. आदित्य पुत्र केशव जाति जाट आयु 5 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मोसमी देवी पत्नी केशव जाति जाट निवासी जाटो की ढाणी, एस.आर.एन. पब्लिक स्कूल के पास रामनगरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी छोटू हाजी का फार्म, बडी मस्जिद के पीछे, खो नागोरियान तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

- वादी

बनाम

1. सुण्डाराम पुत्र नारायण
2. मन्नी उर्फ मल्ला देवी पत्नी सुण्डाराम
3. केशव पुत्र सुण्डाराम
4. गोपाल पुत्र सुण्डाराम
5. बाबूलाल पुत्र सुण्डाराम
समस्त जाति जाट निवासी जाटो की ढाणी, एस.आर.एन. पब्लिक स्कूल के पास रामनगरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. आशा पुत्री सुण्डाराम पत्नी रमेश जाति जाट निवासी पालावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
7. सुनिता पुत्री सुण्डाराम पत्नी हजारी जाति जाट निवासी पालावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तूंगा तह.तूंगा, जिला जयपुर।
9. उप पंजीयक तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर।

- प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

आदेश दिनांक- 11/11/2024


वास्तविक वादकारण के अभाव में एवं विधि द्वारा वर्जित होने एवं क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण प्रार्थी /प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र खारिज किया जाता है।

.....निजी.....मुबलिक.....बाबत.....

.....खर्चाइस मुकदमें का मय सूद वगैरह.....

फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 11.11.2024 को जारी किया गया।


11/11/24

गोहर

सस्ताख्त

11/11/24

ओहदा

गुददई	रुपये	पैरो	गुददायलह	रुपये	पैरो
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनागा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबतइजराय हुयमनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनागा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबतइजराय हुयमनामा मुतफरिक मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलेक्टर

बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण